शुद्धिपत्र

संख्या-501/2024/1390(1)/24-27-सिं-9-84 एसएवी/24

प्रेषक,

वी0एन0तिवारी,
उप सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2024**

विषय: जनपद झांसी स्थित सपरार प्रखण्ड झांसी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्यावरी मुख्य नहर के कि0मी0 0.000 से 13.600 तक पुर्नस्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन कार्य की परियेजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1042/1630/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 15.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 305.88 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं धनराशि रू0 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-477/2024/001/1390/24-27-सिं-9-84 एसएवी/24, दिनांक 24.07.2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। उक्त शासनादेश में परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 350.88 लाख के स्थान पर त्रुटिवश धनराशि रू0 305.88 लाख अंकित हो गया है।

2- अतः कृपया शासनादेश संख्या-477/2024/001/1390/24-27-सिं-9-84एसएवी/24, दिनांक 24.07.2024 में अंकित अनुमोदित लागत रू0 305.88 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के स्थान पर धनराशि रू0 350.88 लाख पढ़ा जाय।

भवदीय,
वी0एन0तिवारी
उप सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
वी0एन0 तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है